शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर

जिला - बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)

स्थापना

11 जुलाई 2008

प्रवेश विवरणिका

सत्र 2019–20

Visit : www.govtcollegebalrampur.ac.in

Email : gncbalrampur@gmail.com

शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर

जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

स्थापना : 11 जुलाई 2008

(संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध)

प्रवेश विवरणिका

सत्र : 2019–20

प्रकाशक

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर
जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)
मो.नं. 9977920198
Visit: govtcollegebalrampur.ac.in,   Email ID- gncbalrampur@gmail.com

रैगिंग

कानूनी अपराध है
और
इसे रोकना हमारा
नैतिक
कर्तव्य है ।

प्राचार्य – संदेश

छत्तीसगढ़ का नवीन जिला बलरामपुर प्रारंभ से ही ऐतिहासिक एवं सुरम्य प्राकृतिक स्थलों का संगम रहा है। यह जिला शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 11 जुलाई 2008 को स्थापित यह महाविद्यालय जिले के शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयासरत है। इसकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं। जिले की अधिकांश आबादी जनजातीय होने के कारण महाविद्यालय की चुनौतियां बढ़ जाती हैं।

आपके हाथों में जो प्रवेश विवरणिका है उसमें वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय विगत 10 वर्षों से देश व समाज की सेवा में रत होकर छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्थापना की अल्प अवधि में ही इस महाविद्यालय ने सरगुजांचल में अपनी विशिष्ट पहचान बनायी है।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः" की भारतीय अवधारणा हमें मानवता के कल्याण की ओर अग्रसर करती है। महाविद्यालय इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम समाज के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आप जैसे प्रतिभाशाली तथा जीवन में कुछ कर गुजरने का स्वप्न देखने वाले छात्र–छात्राओं का मैं स्वागत करता हूं।

आप सबका भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय हो।

बलरामपुर
25 मई 2019

एन. के. देवांगन
प्रभारी प्राचार्य

महाविद्यालय – परिचय

01 जनवरी 2012 को स्थापित बलरामपुर जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल डीपाडीह, तातापानी गर्म जल स्त्रोत, सेमरसोत एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य, भेड़िया पत्थर जल प्रपात, बेनगंगा जल प्रपात, देवी झरिया एवं पवई जल प्रपात तथा अजुनगढ़ नामक गुफा के लिए प्रसिद्ध है। आदिवासी बहुल बलरामपुर जिले में प्राप्त ऐतिहासिक स्मारक, विपुल खनिज, वन संपदा, सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर पर्यटन स्थल, लोक संस्कृति इसकी गौरव गाथा कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से युक्त बलरामपुर जिले में वनोपज और कृषि उपजों पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग की अपार संभावनाएं हैं।

शासन, प्रशासन लोकतंत्र की भावना के अनुरूप आम जन के सहूलियत के लिए 11 जुलाई 2008 को उच्च शिक्षा के विस्तार की परिकल्पना के साथ शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया गया है। यह महाविद्यालय अम्बिकापुर–रामानुजगंज मुख्य मार्ग पर बलरामपुर कस्बे से 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। अपने स्थापना काल से ही निरंतर प्रगति करते हुए इस महाविद्यालय में तीनों संकायों – कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय में स्नातक की कक्षाएं संचालित है। महाविद्यालय में हिन्दी व रसायनशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। इसी सत्र से हिन्दी विषय में महाविद्यालय को पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध केन्द्र के रूप में मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है। महाविद्यालय संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से संबद्ध है। महाविद्यालय यू.जी.सी. से 2एफ व 12बी श्रेणी में सूचीबद्ध है। यहां से उत्तीर्ण अनेक छात्र–छात्राओं को नौकरी एवं स्वरोजगार के अवसर मिले हैं।

महाविद्यालय के योग्य एवं लगनशील प्राध्यापकों के सकारात्मक प्रयासों से स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण, स्वच्छ परिवेश, शांतिपूर्ण माहौल, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में महाविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि हुई है।

महाविद्यालय अपने नवीन भवन में संचालित है। महाविद्यालय में पर्याप्त क्लास रूम, राष्ट्रीय सेवा योजना, रेडक्रास, ग्रंथालय, खेलकूद, पेयजल, फर्स्ट एड सुविधा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, अनुशासन समिति, एण्टी रैगिंग कमेटी, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, छात्रा कामन रूम, कैम्प (राष्ट्रीय सेवा योजना/राष्ट्रीय कैडेट कोर के विद्यार्थियों के लिए) एवं स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। नियमित छात्र–छात्राओं की मासिक, त्रैमासिक, छःमाही एवं वार्षिक परीक्षा, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को मैट्रिकोत्तर, बी.पी.एल एवं विकलांग छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं। संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) ने महाविद्यालय को स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए स्वाध्यायी परीक्षा केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। महाविद्यालय का ध्येय वाक्य है –

" सर्वेषां श्रेयसे विद्या "

शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर

जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज (छ0ग0)

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

कला संकाय

1. पीएच.डी. (हिन्दी)–शोध केन्द्र
2. स्नातकोत्तर (एम.ए.)–हिन्दी
3. स्नातक (बी.ए.)

बी.ए. में उपलब्ध विषय –

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय –

1. हिन्दी साहित्य अथवा अंग्रेजी साहित्य 2. राजनीति विज्ञान 3. समाज शास्त्र 4. इतिहास

नोट – छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्ही तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

1. स्नातकोत्तर (एम.एससी.)–रसायनशास्त्र
2. बी.एससी. (गणित समूह)
3. बी.एससी. (जीव विज्ञान समूह)
4. बी.एससी. (कम्प्यूटर विज्ञान समूह)

बी. एससी. में उपलब्ध विषय –

1. अनिवार्य विषय –

(अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)

2. वैकल्पिक विषय –

क. गणित समूह – 1. गणित 2. रसायनशास्त्र 3. भौतिक शास्त्र

ख. जीव विज्ञान समूह – 1. वनस्पति शास्त्र 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र

ग. कम्प्यूटर विज्ञान समूह – 1. गणित 2. कम्प्यूटर विज्ञान 3. भौतिक शास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम.

बी.कॉम. के विषय –

बी.कॉम. प्रथम वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)
2. व्यावसायिक अर्थशास्त्र 3. व्यावसायिक पर्यावरण 4. व्यावसायिक संचार
5. वाणिज्यिक विधि 6. वित्तीय लेखांकन 7. व्यावसायिक गणित

बी.कॉम. द्वितीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
2. प्रबंध के सिंद्धांत 3. उद्यमिता के मूल तत्व 4. कंपनी अधिनियम एवं सांख्यिकी पद्धति
5. व्यावसायिक सांख्यिकी 6. निगमित लेखांकन 7. लागत लेखांकन

बी.कॉम. तृतीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा
2. प्रबंधकीय लेखांकन 3. आयकर 4. अप्रत्यक्ष कर 5. अंकेक्षण
5. वैकल्पिक समूह– अ. वित्तीय ग्रुप ब. विपणन ग्रुप स. सूचना प्रौद्योगिकी ग्रुप

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	उपलब्ध स्थान
1.	पीएच.डी. (हिन्दी) – शोध केन्द्र के रूप में	04
2.	एम.ए. (हिन्दी) सेमेस्टर पद्धति (सीबीसीएस)	30
3.	एम.एससी. (रसायनशास्त्र) सेमेस्टर पद्धति (सीबीसीएस)	20
4.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक)	160
5.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह (प्रत्येक)	75
6.	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह (प्रत्येक)	80
7.	बी.एससी. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर विज्ञान समूह (प्रत्येक)	30
8.	बी. कॉम प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक)	50

टीप :–

1. छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष के विषय ही द्वितीय व तृतीय वर्ष में लेने होंगें ।
2. छात्र/छात्राओं को विभिन्न विषय में प्रवेश स्थान की उपलब्धता एवं अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा । प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा । स्थान न होने की दशा में छात्र/छात्राओं को इस संदर्भ में उनकी पसंद के विषय के बजाय ऐसे विषय लेने होंगें जिसमें स्थान उपलब्ध हो ।
3. विषय परिवर्तन के लिए आवेदन प्रवेश लेने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है, विषय परिवर्तन सम्बन्धित विषय में स्थान उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रवेश संबंधी नियम

प्रवेश तिथि –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रवेश मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है। नवीन प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को निर्धारित तिथि तक प्रावीण्यता के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही स्वाध्यायी या बाह्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी सूची अनुसार होगा। वर्तमान में हिन्दी विभाग को विश्वविद्यालय से शोध केन्द्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

शैक्षणिक सत्र **01 जून 2019** से आरंभ होगा। प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु **01 जून से ऑनलाईन आवेदन** किया जा सकता है। स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर **30 जुलाई तक** प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होगें।

प्रवेश नियम (Admission Rules) –

1. यदि छात्र/छात्रा एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा ।
2. छात्र/छात्रा अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहते हैं उसका चयन सावधानी से करें। विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
3. प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जा सकेगा ।
4. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई की स्थिति में की जावेगी।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 12 प्रतिशत् तथा 32 प्रतिशत् स्थान आरक्षित होंगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगें । विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आधार पर भी आरक्षण होगा । आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत् स्थान आरक्षित हैं ।
6. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। छात्र/छात्राएं महाविद्यालय के सूचना पटल का नियमित अवलोकन करते रहें। यह सूचना महाविद्यालय के वेबसाईट **www.govtcollegebalrampur.ac.in** पर भी उपलब्ध रहेगी।
7. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा ।
8. प्रत्येक छात्र को एन.एस.एस./एन.सी.सी., यूथ रेड क्रास सोसायटी अथवा खेलकूद/सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेना अनिवार्य है ।
9. प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा जो बाध्यकारी होगा ।

प्रवेश पात्रता –

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं प्रवेश पा सकेगें –

1. **पीएच.डी. (हिन्दी) –** हिन्दी/संबद्ध विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको सहित स्नातकोत्तर उपाधि। आरक्षित वर्ग के छात्र/छात्राओं को स्नातकोत्तर स्तर पर अंकों में 05 प्रतिशत की छूट देय है।
2. **स्नातकोत्तर (एम.ए./एम.एससी.) प्रथम सेमेस्टर –** संबंधित विषय में स्नातक उपाधि।
3. **बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. प्रथम वर्ष**

   (क) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर /सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं/हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
4. **बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. द्वितीय वर्ष**

   (क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा

   (ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
5. **बी.ए., बी.कॉम., एवं बी.एससी. तृतीय वर्ष**

   (क) बी.ए., बी.कॉम., एवं बीएस.सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा

   (ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

विश्वविद्यालय नामांकन– (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. प्रत्येक नव प्रवेशित छात्र/छात्रा को संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से नामांकन कराना अनिवार्य है। नामांकन फार्म निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।
3. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा को दिया गया प्रवेश, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) द्वारा मान्य न होने तक अस्थाई रहेगा । अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा ।

प्रवेश आवेदन पत्र –

1. समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश (पीएच.डी. को छोड़कर) ऑनलाईन पद्धति से होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी संलग्न दस्तावेजों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय की छात्र शाखा में जमा किया जाना चाहिए।
2. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश ऑफलाईन पद्धति से होगा। हिन्दी विभाग शोध केन्द्र के रूप में मान्य है। विश्वविद्यालय द्वारा पी.एचडी. हिन्दी हेतु चयनित शोधार्थी ही हिन्दी शोध केन्द्र में प्रवेश ले सकेंगे। प्रवेश हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त होगा।

विशेष :– निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है ।

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Original T.C.)
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा । प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाए। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा ।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें । मूल अंक सूची छात्र को तुरन्त वापस कर दी जायेगी ।
4. प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थी के लिए है जो संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित किसी भी संस्था का विद्यार्थी न रहा हो) ।
5. पिछली कक्षा का प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (Private) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. माता / पिता / पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)संलग्न करें ।
8. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षो की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
9. जिन विद्यार्थी ने गत परीक्षा संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल / सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड / विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण–पत्र महाविद्यालय–प्रवेश–आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
10. अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगे –

    (1) जाति प्रमाण–पत्र

    (2) आय प्रमाण–पत्र

    (3) निवास प्रमाण–पत्र।

    ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें।
11. नौकरी करने वाली विद्यार्थी के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
12. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो / अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थी को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
13. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

14. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है।

15. प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है कि वे किसी विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय की सूची से काट दें यदि –

1. छात्र / छात्रा महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है ।
2. छात्र / छात्रा महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता है।
3. छात्र / छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि से असंतोषजनक हो ।
4. छात्र / छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है ।
5. छात्र / छात्रा रैगिंग करता है ।
6. अन्य किसी भी विशेष कारणो से जनहित में ।
7. शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्र / छात्रा लगातार 1 महीने से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा ।

शुल्क संबंधी नियम –

1. विद्यार्थी निर्धारित बैंक में अथवा महाविद्यालय की छात्र शाखा में फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्र उसी समय रसीद प्राप्त करें । यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें । रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी ।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है । परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होगें ।
4. छात्र सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें । एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी ।
5. नामांकन शुल्क, नव प्रवेशित छात्र / छात्राओं के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो अन्य बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित होना चाहता है ।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्र द्वारा ही भरा जाना चाहिए ।

—: शुल्क विवरण :—

शुल्क विवरण	स्नातक/स्नातकोत्तर कला संकाय/वाणिज्य संकाय	स्नातक/स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय	पीएच.डी. (शोध केन्द्र)
शिक्षण शुल्क	118	138	-
अवधान शुल्क	60/200	100/200	200
प्रवेश शुल्क	2	2	2
निर्धन कल्याण शुल्क	5	5	5
परिचय पत्र	50	50	50
महाविद्यालय विकास शुल्क	25	25	25
सायकल स्टैण्ड	20	20	20
कामन रूम/वाचनालय	20	20	1000
रेडक्रास सोसायटी	25	25	25
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	40	40	40
ग्रंथालय शुल्क	-	-	2000
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	10	10	10
छात्रसंघ शुल्क	20	20	20
क्रीड़ा शुल्क	22	22	22
सम्मिलित निधि	32	32	32
स्नेह सम्मेलन	20	20	20
शारीरिक कल्याण शुल्क	150	150	150
चिकित्सा शुल्क	5	5	5
युवा गतिविधि शुल्क	17	17	17
विश्वविद्यालय शुल्क	20	20	20
नामांकन शुल्क	100	100	-
जनभागीदारी शुल्क	400	400	1000
महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क	50	50	50
कुल	1211	1271	4713

टीप :—

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगी।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता—पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन /आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

धरोहर राशि (अमानत राशि प्राप्त करने के नियम)–

1. धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें ।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी ।
3. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति बुधवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा ।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । तीन वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी ।

छात्रवृत्तियां –

महाविद्यालय में सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक सत्र में देय होगी।

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. बी.पी.एल. कार्डधारी बच्चों को नियमानुसार बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
   (मैट्रिकोत्तर एवं बी.पी.एल. छात्रवृत्ति में से किसी एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी)
3. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. योग्य निर्धन विद्यार्थी को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्र सहायता निधि से प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के संबंध में विशेष जानकारी

1. छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है । विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समायावधि में कार्यालय में जमा करें ।

2. छात्रवृत्ति नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा ।

3. महाविद्यालय के सूचना पटल पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा ।

4. छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाऍं समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है ।

5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।

6. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें।

7. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।

8. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर अगस्त माह में आवेदन करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का होगा।

9. बारहवीं परीक्षा पास छात्र के लिए नवीन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगें।

10. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है ।

11. शासन के नियमानुसार जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अन्तर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी ।

टीप :– महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते है, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी ।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं

पुस्तकालय/वाचनालय –

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएं पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करता है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थी को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रन्थपाल (लाईब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हे दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थदण्ड देना होगा।

(ब) गत वर्षों के प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैंठकर ही कर सकतें हैं।

बुक बैंक योजना –

(1) साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष व्यवस्था है । इच्छुक विद्यार्थी 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक से सहायता हेतु आवेदन करें । आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें । बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी ।

(2) महाविद्यालय के ग्रन्थालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए ''बुक बैंक'' योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राऍं प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर ग्रन्थालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदाय करने की व्यवस्था श्रीमती के. तनुजा, ग्रंथपाल द्वारा की जाती है।

प्रयोगशाला –

महाविद्यालय के विज्ञान संकाय में विषयवार प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं कम्प्यूटर साईंस विभाग में पृथक–पृथक प्रयोगशालायें हैं।

हेल्प डेस्क –

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री एन. के. सिंह सहायक प्राध्यापक (वनस्पतिशास्त्र) हैं। हेल्प डेस्क में छात्र/छात्राओं की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जायेगा –

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन परीक्षा संबंधी।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी।
3. खेलकूद गतिविधि संबंधी।
4. छात्रावास संबंधी।
5. कैन्टीन संबंधी।
6. ग्रंथालय संबंधी।
7. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति जैसे बी.पी.एल.,पोस्ट मैट्रिक एकीकृत छात्रवृत्ति, सैन्य छात्रवृत्ति इत्यादि।
8. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना।
9. छात्र/छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करने संबंधी।
10. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी संबंधी।
11. साइकिल स्टैण्ड संबंधी।
12. रैगिंग संबंधी शिकायत।
13. प्रयोगशाला संबंधी।
14. प्रसाधन कक्ष संबंधी।
15. अध्यापन कक्षों की साफ–सफाई संबंधी।
16. एन.सी.सी./एन.एस.एस. संबंधी गतिविधियां।
17. कॉमन रूम संबंधी इत्यादि।

इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में पृथक से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसकी संयोजक श्रीमती के. तनुजा ग्रंथपाल हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) –

यह योजना संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की 100 छात्र–छात्राओं की इकाई कार्यरत है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, एवं समयानुकूल समाज सेवा का कार्य करते हैं। छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सेवा कार्य पूर्ण करना होता है। बी एवं सी प्रमाण–पत्र की परीक्षा की पात्रता हेतु नियमित गतिविधियों में 75 प्रतिशत उपस्थिति और कम से कम सात दिवसीय एक शिविर में भागीदारी आवश्यक है। महाविद्यालय में श्री रमेश पटेल सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) एन.एस.एस. के कार्यक्रम अधिकारी हैं।

रेडक्रॉस –
महाविद्यालय में रेडक्रॉस की ईकाई कार्यरत है। रेडक्रॉस समिति स्वास्थ्य एवं जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम/कार्य संचालित करती है। महाविद्यालय में फर्स्ट एड की सुविधा रेडक्रॉस कक्ष में उपलब्ध है। आवाश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा बीमार छात्र/छात्रा को ईलाज हेतु तत्काल निकटस्थ जिला चिकित्सालय में ले जाया जाता है। रेडक्रॉस समिति की संयोजक डॉ. अर्चना गुप्ता, सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) –
महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर की 54 छात्र/छात्राओं की इकाई कार्यरत है। यह 28वीं बटालियन रायगढ़ (छ0ग0) से संबद्ध है। एन.सी.सी. में अध्ययन के साथ–साथ एकता और अनुशासन पर बल दिया जाता है। इसके अलावा इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं एवं कैडेट्स को पूर्व सैन्य शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। महाविद्यालय में एन.सी.सी. के केयर टेकर डॉ. एस. एन. साहू सहायक प्राध्यापक (रसायनशास्त्र) हैं।

खेलकूल –
महाविद्यालय में वॉलीवाल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो–खो, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, शतरंज आदि इंडोर–आउटडोर खेलों के खेलने की सुविधा है । छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि व भाग लें । टीम में स्थान प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास में उपस्थिति जरूरी है।

छात्र–संघ –
महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है । प्रत्येक विद्यार्थी छात्र संघ का सदस्य होता है । संघ की समस्त गतिविधियों में प्रत्येक छात्र/छात्रा का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। छात्रसंघ की गतिविधियां डॉ. यू.के. पाण्डेय सहायक प्राध्यापक हिन्दी के मार्गदर्शन में कार्यान्वित होती हैं।

परिचय पत्र –
प्रत्येक छात्र के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। छात्र अपना परिचय–पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा । एक छात्र को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा ।

प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र, ग्रंथालय कार्ड प्रतिदिन अपने साथ रखना एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

रैगिंग – निषेध

रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001'' जारी किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है । इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

परिभाषा –

रैगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना ।

रैंगिंग का प्रतिशोध –

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैंगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड – यदि कोई व्यक्ति रैंगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैंगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 05 हजार से अधिक नहीं होगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

अपराधों का विचारण – इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया गायेगा ।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता –

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा । किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसा छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण–संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

सामान्य नियम

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। **महाविद्यालय द्वारा छात्रों के लिए लाईट पिंक शर्ट व काला पैंट एवं छात्राओं के लिए लाईट पिंक कुर्ता व काली सलवार तथा काली कोटी/दुपट्टा ड्रेस तय किया गया है।**
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों में भी पूरा सहयोग करेगा।
3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है।
6. प्रत्येक विद्यार्थी सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा ।
7. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
8. महाविद्यालय में इधन–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
9. विद्यार्थी अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेंगे। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
10. महाविद्यालय में मोबाईल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रन्थालय द्वारा बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय मे पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
6. प्रत्येक विद्यार्थी बिजली और पानी की बचत करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपना हर सम्भव सहयोग करेगा।

परीक्षा संबंधी नियम

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक।
3. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
4. एन.सी.सी. कैम्प/एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पार्धाओं/यूथ रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।
8. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगें ।
9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र

1. यदि छात्र किसी अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

संकाय सदस्य

महाविद्यालय के प्राचार्य/प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक की जानकारी

(दिनांक – 01.12.2019 की स्थिति में)

संस्था प्रमुख – श्री एन. के. देवांगन (प्रभारी प्राचार्य)

क्र.	पद	विषय	नाम	संपर्क
1	प्राचार्य	–	रिक्त	–
2	प्राध्यापक	हिन्दी	रिक्त	–
3	प्राध्यापक	रसायन	रिक्त	–
4	सहायक प्राध्यापक	अंग्रेजी	श्री एन. के. देवांगन	9977920198
5	सहायक प्राध्यापक	हिन्दी	डॉ. यू. के. पाण्डेय	8120975244
6	सहायक प्राध्यापक	वनस्पतिशास्त्र	श्री एन. के. सिंह	8878232659
7	सहायक प्राध्यापक	राजनीति विज्ञान	डॉ. अर्चना गुप्ता	8765559114
8	सहायक प्राध्यापक	रसायन	डॉ. एस. एन. साहू	6260734192
9	सहायक प्राध्यापक	वाणिज्य	श्री रमेश पटेल	9616635737
			श्रीमती पूजा हालदार (व्याख्याता जनभागीदारी)	9691349838
10	सहायक प्राध्यापक	कम्प्यूटर साइंस	रिक्त	–
			श्रीमती मौसम ज्योतिषी (अतिथि व्याख्याता)	8839783788
11	सहायक प्राध्यापक	समाजशास्त्र	श्री शैलेष कन्नौजिया (अतिथि व्याख्याता)	9806568019
12	सहायक प्राध्यापक	प्राणीशास्त्र	श्री सुरेश कुमार रवि (अतिथि व्याख्याता)	9753738816
13	सहायक प्राध्यापक	गणित	श्री गोलू कुमार साहू (अतिथि व्याख्याता)	8823885594
14	सहायक प्राध्यापक	भौतिकी	कु. नीलिमा (अतिथि व्याख्याता)	9131094442
15	सहायक प्राध्यापक	इतिहास	कु. दीपशिखा टोप्पो (अतिथि व्याख्याता)	7049906719
16	अतिथि व्याख्याता	हिन्दी	कु. प्रियंका जायसवाल (प्राध्यापक पद के विरूद्ध)	7748943861
17	अतिथि व्याख्याता	रसायनशास्त्र	श्री दिनेश कुशवाहा (प्राध्यापक पद के विरूद्ध)	8889589684

अशैक्षणिक / कार्यालयीन सदस्य

(दिनांक – 01.12.2019 की स्थिति में)

क्र.	पद	नाम	प्रभार	संपर्क
1	ग्रंथपाल	श्रीमती के. तनुजा	ग्रंथालय	7979016469
2	क्रीड़ा अधिकारी	रिक्त	–	–
3	सहायक ग्रेड–1	रिक्त	–	–
4	सहायक ग्रेड–2	श्री गिरवर प्रसाद कोरी	स्थापना, लेखा, विश्वविद्यालय एवं छात्र शाखा	8889877940
5	सहायक ग्रेड–3	रिक्त	–	–
6	प्रयोगशाला तकनीशियन	श्री रामसुदर्शन राम	रसायन एवं प्राणीशास्त्र लैब	9669638198
		श्री कुणाल कुमार सोनी	वनस्पतिशास्त्र, भौतिकी, कम्प्यूटर लैब एवं छात्रवृत्ति शाखा	7583004030
		रिक्त	–	–
		रिक्त	–	–
7	कम्प्यूटर आपरेटर (ज. भा.)	श्री मुकेश कुमार मिंज	–	7692998185
8	प्रयोगशाला परिचारक	रिक्त	–	–
		रिक्त	–	–
9	भृत्य	श्री विजय कुमार तिर्की	–	9575515424
10	भृत्य	श्री फूलचंद कुजूर	–	7566516585
11	भृत्य (ज.भा.)	श्रीमती सुनीता बैरागी	–	8827001401
12	स्वीपर (ज.भा.)	श्रीमती शिवकुमारी	–	9669215736

DIPADIH, SHANKARGARH, BALRAMPUR

TATAPANI BALRAMPUR

मूल्य ₹ 50/-

प्रकाशक :
प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर
जिला – बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)
मो. नं. 9977920198